

प्रस्तुत करने का चैनल और मामलों के अंतिम निपटान का स्तर

## नीति और प्रशासन विंग

### आईआईएस अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
2.	आईआईएस ग्रुप 'बी' के वरिष्ठ ग्रेड से आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
3.	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणामों के आधार पर आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड में अधिकारियों की नियुक्ति	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक /संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
4.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार करना और ग्रेड में अनुशंसित अधिकारियों की नियुक्ति करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक /संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
5.	आईआईएस ग्रुप 'ए' (डीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार करने वाली सीधी भर्ती) के जूनियर ग्रेड अधिकारियों की परिवीक्षा की समाप्ति।	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
6.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के अधिकारियों का स्थानांतरण	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव / सचिव	मंत्री ( सीएसबी की सिफारिश पर)
7.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड से आईआईएस ग्रुप 'ए' के वरिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी के आयोजन के प्रस्ताव को अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

8.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के वरिष्ठ ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार करना और ग्रेड में अनुशंसित अधिकारियों की नियुक्ति करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव	मंत्री
9.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के सीनियर ग्रेड/जेएजी से आईआईएस ग्रुप 'ए' के जेएजी/एनएफएसजी में पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
10.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जेएजी/एनएफएसजी में पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार करना और ग्रेड में अनुशंसित अधिकारियों की नियुक्ति	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव	मंत्री
11.	संबंधित फीडर ग्रेड से आईआईएस ग्रुप 'ए' के एसएजी और उससे ऊपर के पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने के प्रस्ताव को अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
12.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के एसएजी और उससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी की सिफारिशों को स्वीकार करना और ग्रेड में अनुशंसित अधिकारियों की नियुक्ति	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव /मंत्री	एसीसी
13.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को विस्तार/ का पुनर्नियोजन	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक /संयुक्त सचिव/सचिव /मंत्री	एसीसी
14.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के किसी अधिकारी का इस्तीफा/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव	मंत्री

15.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के सेवानिवृत्त अधिकारियों के व्यावसायिक रोजगार की अनुमति प्रदान करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
16.	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड में भर्ती अधिकारियों को ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाने की मंजूरी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
17.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड के सीधी भर्ती अधिकारियों के प्रशिक्षण मामले और उनके मीडिया अटैचमेंट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
18.	आईआईएस ग्रुप 'ए' के जूनियर ग्रेड के प्रोबेशनर्स को अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
19.	खुले विज्ञापन के जवाब में या केंद्रीय कर्मचारी योजना सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर आईआईएस समूह 'ए' के वरिष्ठ ग्रेड और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के आवेदन अग्रेषित करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव (जेएजी स्तर तक) और मंत्री (एसएजी और ऊपर)
20.	ऊपर क्रम संख्या 22 के विरुद्ध चयन के मामले में अधिकारियों के रिलीवर।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

21.	खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में या पूर्व संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आईआईएस समूह 'ए' के जूनियर ग्रेड अधिकारियों के आवेदनों को अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
22.	प्रधान महानिदेशक/अन्य मीडिया प्रमुखों को अवकाश प्रदान करना	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	प्रधान डीजी के लिए मंत्री अन्य मीडिया प्रमुखों के लिए
22.	आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के नाम में परिवर्तन	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव
23.	आईआईएस ग्रुप 'ए' नियम 1987 से संबंधित सभी मामले	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव / सचिव	मंत्री
24.	आईआईएस ग्रुप 'ए' से संबंधित नीतिगत मामले	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
25.	आईआईएस ग्रुप 'ए' की कैडर समीक्षा	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव	मंत्री

26.	आचरण नियमों के तहत अनुमति / एनओसी	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव (एसएजी और ऊपर)/संयुक्त सचिव
27.	अदालत के मामले	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव (न्यायालय की अवमानना के मामले)/संयुक्त सचिव
28.	आईआईएस ग्रुप 'ए' को अध्ययन अवकाश की अनुमति	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री

### ग्रुप 'बी'

1.	आईआईएस ग्रुप 'बी' के सीनियर और जूनियर ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
2.	सीधी भर्ती द्वारा आईआईएस ग्रुप 'बी' के सीनियर और जूनियर ग्रेड में अधिकारियों की नियुक्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
3.	सीधी भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

4.	आईआईएस ग्रुप 'बी' के जूनियर ग्रेड से आईआईएस ग्रुप 'बी' के वरिष्ठ ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
5.	आईआईएस समूह 'बी' के वरिष्ठ और कनिष्ठ ग्रेड के अधिकारियों की सीधी भर्ती की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
6.	आईआईएस समूह 'बी' के वरिष्ठ और कनिष्ठ ग्रेड के अधिकारियों का स्थानांतरण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव ( सीएसबी की सिफारिश के अनुसार)
7.	आईआईएस ग्रुप 'बी' के भर्ती नियमों में संशोधन	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
8.	इस्तीफे की स्वीकृति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
9.	संवर्ग के बाहर प्रतिनियुक्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
10.	वरिष्ठ एवं कनिष्ठ ग्रेड अधिकारियों के नाम में परिवर्तन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
11.	अदालत के मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

12.	अवमानना में समाप्त होने वाले अदालती मामले	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव
13.	खुले विज्ञापन के जवाब में आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों के सीनियर और जूनियर ग्रेड के आवेदनों को अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
14.	आईआईएस ग्रुप 'बी' को अध्ययन अवकाश की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
<b>सामान्य मामले</b>			
1.	सूचना, यदि कोई मंत्रालय/विभाग से एकत्र की जानी है	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव या निदेशक
2.	आवधिक रिटर्न और अन्य दैनिक कार्य	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव या निदेशक
3.	आईआईएस अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव या निदेशक
4.	संसद प्रश्न (तारांकित प्रश्न)	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
4	संसद प्रश्न (अतारांकित)	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव /सचिव	मंत्री
5.	वीआईपी संदर्भ	अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री

6.	सरकारी वकील को शुल्क बिल का भुगतान	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	विभागाध्यक्ष
7.	सूचना का अधिकार	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
7-ए	आरटीआई (अपील)	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव या निदेशक
8.	शिकायतें	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

## प्रेस अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुति करने का चैनल	अंतिम निपटान स्तर
1.	समाचार एजेंसियों से संबंधित नीतिगत मामले	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
2.	संसदीय मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
3.	वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
4.	पीसीआई की रिपोर्ट सभा पटल पर रखना	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
5.	पुनर्नियोजन के मामले	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
6.	प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव।	मंत्री
7.	तदर्थ नियुक्तियां	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव

8.	निम्नलिखित के लिए नियमों का निर्माण/संशोधन क) विभाग के प्रमुख ख) ग्रुप 'ए' और 'बी' पद ग) ग्रुप 'सी' और 'डी' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	मंत्री सचिव संयुक्त सचिव
9.	प्रेस आयोग की सिफारिश	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव/मंत्री
10.	पीसीआई के कर्मचारियों के संदर्भ में विनियमों का निर्धारण	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव/मंत्री
11.	वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
12.	पीआईबी/पीसीआई के संबंध में नीतिगत मामला	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
13.	समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को सहायता अनुदान/सहायता से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
14.	अस्थायी पदों को जारी रखना	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
15.	अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
16.	पीसीआई के संबंध में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
17.	पीआईबी के संबंध में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव

18.	योजना स्कीमों का कार्यान्वयन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
19.	सेवा मामलों पर स्पष्टीकरण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
20.	सिंडिकेशन समझौतों के अनुमोदन के मामले और समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लिए अनुमोदन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
21.	आर/ओ पीसीआई के संबंध में सहायता अनुदान का संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
22.	आर/ओ पीसीआई के संबंध में सामान्य मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव या निदेशक
23.	प्रिंट मीडिया/विज्ञापन क्षेत्र के संबंध में विदेशी निवेश प्रस्ताव (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्राप्त) (एफआईजीपीबी)	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
24.	निम्नलिखित के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करना: - क) विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन सहित समाचारों और समसामयिक मामलों से निपटने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ख) i) विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्ट पत्रिकाओं/जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन ii) वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में विदेशी निवेश / जर्नल/नियतकालिक।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	अपर सचिव

25.	<p>निम्नलिखित के लिए स्वीकृति प्रदान करना</p> <p>i) तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्ट पत्रिकाओं/ जर्नल/नियतकालिक के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन</p> <p>ii) तकनीकी/वैज्ञानिक/विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत भारतीय पत्रिकाओं/ जर्नल/नियतकालिक का प्रकाशन ।</p> <p>iii) विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिकृति संस्करणों का प्रकाशन।</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव</p>	<p>अपर सचिव</p>
26.	<p>पत्रकार कल्याण निधि से अनुदान के मामले :</p> <p>(i) समिति के समक्ष प्रस्तुत करना</p> <p>(ii) समिति द्वारा निर्णय लिया गया</p> <p>(iii) पत्रकार कल्याण निधि के तहत अनुदान जारी करना</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक / संयुक्त सचिव</p> <p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक / संयुक्त सचिव</p>	<p>संयुक्त सचिव</p> <p>सचिव</p> <p>सचिव</p>

## मीडिया यूनिट सेल

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	डीएवीपी, आरएनआई और फोटो प्रभाग से संबंधित नीतिगत मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव	मंत्री
2.	संसदीय मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
3.	वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
4.	भर्ती नियम - निर्धारण /संशोधन - विभागाध्यक्ष  - ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद  - ग्रुप सी के पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	मंत्री  सचिव  संयुक्त सचिव
5.	निम्नलिखित की नियुक्ति, पदोन्नति, परिवीक्षा की समाप्ति और पुष्टि डीएवीपी, आरएनआई और फोटो डिवीजन के ग्रुप ए अधिकारी आरएनआई और फोटो डिवीजन के ग्रुप बी अधिकारी फोटो डिवीजन के ग्रुप सी अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	मंत्री  सचिव  उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव

6.	पुनर्नियोजन के मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ सचिव	मंत्री
7.	पीआरबी अधिनियम में संशोधन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/ संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	मंत्री
8.	तदर्थ नियुक्तियां	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
9.	कार्यालय/आवासीय आवास को किराए पर लेनालीज मामलों के संशोधन या नवीनीकरण सहित समाचार मामलें	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
10	अग्रिम खाते पर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
11	वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
12	क) पदों को जारी रखना ख) पदों का सृजन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार/सचिव सलाहकार/सचिव	वित्तीय सलाहकार मंत्री*
13.	अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार*
14.	डीएवीपी/आरएनआई/फोटो डिवीजन के संबंध में बीई/आरई	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव

15.	निम्नलिखित का कार्यान्वयन :- (i)डीएवीपी, आरएनआई और फोटो डिवीजन की योजना स्कीम  (ii)डीएवीपी, आरएनआई और फोटो डिवीजन की व्यय स्वीकृति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव  अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार/ सचिव/मंत्री  वित्तीय सलाहकार
16.	सेवा मामलों पर स्पष्टीकरण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक।
17.	वेतन निर्धारण के मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक।
18.	नियुक्ति आदेश/स्वीकृति जारी करना	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
19.	डीएवीपी/आरएनआई/फोटो प्रभाग के संबंध में सामान्य मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक।
20.	डेटा तथ्यात्मक सूचना आदि डेटा संग्रह के लिए मंत्रालय, मीडिया इकाइयों और अन्य विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए	अनुभाग अधिकारी	अनुभाग अधिकारी
21.	ओ एंड एम और अन्य रिटर्न	अनुभाग अधिकारी	अनुभाग अधिकारी

नोट: \*वर्तमान में प्रतिबंध के कारण पदों के सृजन के सभी प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता है।

## आईपी और एमसी अनुभाग

क्र.स	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	निपटान का अंतिम स्तर
1.	महापंजीयक और महानिदेशक आईआईएमसी की नियुक्ति	अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
2.	आईआईएमसी और डीएफपी से संबंधित सभी नीतिगत मामले	अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
3.	पुनः रोजगार के मामले	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
4.	निम्नलिखित अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति (क.) संयुक्त सचिव स्तर तक  (ख.) अन्य अधिकारी	अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव  अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री  कैबिनेट सचिवालय की अध्यक्षता वाली समिति
5.	परिवर्तन/संशोधन सहित पहले का पहले की सीईपी के सीईपी मामलों का फार्मुलेशन	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
6.	सूचना/मास मीडिया में प्रोटोकॉल/करार/समझौता जापन	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
7.	वीवीआईपी के साथ जाने के लिए मीडिया क्लू का गठन	विलोप किया गया	
8.	सूचना और प्रसारण मंत्री सम्मेलन सिमकॉन	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
9.	सलाहकार समिति की बैठक	अनुभाग अधिकारी → अवर सचिव → उप सचिव निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री

10.	(क.) पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना (ख.) एसएफसी प्रस्ताव (ग.) ब.प्रा.और सं.प्रा. संबंधित मामले	अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव अवर सचिव → उप सचिव / निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	सचिव मंत्री एफए
11.	योजना स्कीमों का कार्यान्वयन	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
12.	पदों का सृजन	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	वित्त मंत्री
13.	पदों को जारी रखना	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	एफए
14.	सेवा मामलों पर स्पष्टीकरण	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
15.	मुकदमेबाजी के मामले	अवर सचिव → उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव
16.	वार्षिक रिपोर्ट/आउटकम बजट के लिए सामग्री	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
17.	यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ पत्राचार	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	सचिव
18.	सार्क के सूचना मंत्रालयों की बैठक	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	सचिव
19.	आईआईएमसी को अनुदान सहायता जारी करना	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
20.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य विंग से संबंधित विविध संसदीय मामले	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
21.	शिकायत याचिकाएं	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव

22.	आरटीआई मामले	अनुभाग अधिकारी → अवर सचिव/निदेशक	अवर सचिव/सीपी आईओ उप सचिव या निदेशक/अपीलीय प्राधिकारी
23.	विविध मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
24.	वीआईपी मामले	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	मंत्री
25.	निम्नलिखित के लिए विधि के तहत भर्ती नियमों का निर्माण/संशोधन;		
	(क.) विभाग प्रमुख	अवर सचिव → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव → सचिव	मंत्री
	(ख.) ग्रुप 'ए' और 'बी' पद	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव/निदेशक → संयुक्त सचिव	सचिव
	(ग.) ग्रुप 'सी' और 'डी' पद	अनुभाग अधिकारी → उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव

\*\* सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, "माननीय प्रधान मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति के विदेश दौरे के कवरेज के लिए प्रतिनियुक्त आधिकारिक दल के लिए दैनिक भते (डीए) के भुगतान के संबंध में वित्तीय स्वीकृति अब से एमयूसी अनुभाग द्वारा संसाधित किया जाएगा।"

## नीति नियोजन प्रकोष्ठ

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	संसद प्रश्न:  (क) तारांकित प्रश्न  (ख) अतारांकित प्रश्न	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ सचिव/एचएमएसआईबी  अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ सचिव/एचएमएसआईबी	माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री  माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री
2.	वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ सचिव	माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री / माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री
3.	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ सचिव	माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय को मासिक सार भेजना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
5.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र/नए 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)	संयुक्त सचिव (पी एंड ए)
6.	सभी प्रचार संबंधी मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)	संयुक्त सचिव (पी एंड ए)
7.	प्रचार मामलों से संबंधित नीति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)/संयुक्त सचिव	सचिव / माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री
8.	आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	ओएसडी (सी)

9.	शिकायत अधिकारियों की सहायता के माध्यम से शिकायतों के निवारण से संबंधित मामले ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ओएसडी(सी)	संयुक्त सचिव
10.	एलआईएमबीएस के कार्यान्वयन समन्वय के मामले के संबंध में	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव (ए)

## एफ (एस) डेस्क

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	निपटान का अंतिम स्तर
1.	सभी वित्तीय प्रस्ताव	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
2.	सभी नीतिगत मामले	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/ संयुक्त सचिव / सचिव	मंत्री
3.	वीआईपी मामले	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
4.	योजना स्कीमें	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार	सचिव/मंत्री
5.	बजट प्रस्ताव	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
6.	बजट प्राक्कलन/संसोधित प्राक्कलन प्रस्ताव	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
7.	वार्षिक रिपोर्टें	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
8.	संसद प्रश्न	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री

9.	समूह 'क' पदों पर नियुक्ति	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
10.	अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
11	(क.) पदों को जारी रखना (ख.) पदों का सृजन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार / सचिव	वित्तीय सलाहकार/मंत्री*
12.	पदों का उन्नयन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
13.	नए कार्यालयों का उद्घाटन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार/सचिव	मंत्री
14.	सेवा में विस्तार/पुनर्नियोजन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार/सचिव	मंत्री
15.	अनुकम्पा नियुक्ति	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	सचिव
16.	गैर-हकदार कार्मिकों द्वारा हवाई-यात्रा की अनुमति	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/ वित्तीय सलाहकार	सचिव

17.	पदों के लिए भर्ती नियम बनाना/संशोधित करना (क.) विभागाध्यक्ष  (ख.) समूह 'ए' और 'बी' समूह 'सी' और 'डी'	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	मंत्री  सचिव  संयुक्त सचिव
18.	वेतनमान में संशोधन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार	सचिव (ग्रुप 'बी' पद तक) और मंत्री ग्रुप 'ए' पदों के लिए
19.	डीपीसी	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
20.	डि- रिजर्वेशन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव/सचिव
21.	नियमों/आदेशों आदि की व्याख्या पर स्पष्टीकरण मांगने वाले मामलें	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव
22.	विदेशी आतिथ्य अनुरोधों की स्वीकृति के लिए अनुमति	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव/सचिव
23.	आदेश/संस्वीकृति जारी करना	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।
24.	एस एंड डीडी (साउंड और लाईट कार्यक्रम) द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
25.	कार्यालय/आवास (किराए के मामलों में के मामले संशोधन सहित समाचार के मामले) को किराए पर लेना	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	वित्तीय सलाहकार
26.	अदालती मामले	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक।	संयुक्त सचिव/सचिव

27.	प्रख्यात लेखकों को भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार के लिए प्रस्ताव	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री
28.	प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनियों को मुद्रित करने का प्रस्ताव	डेस्क अधिकारी/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव	मंत्री

नोट: जहां भी आवश्यक हो, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

\* वर्तमान में प्रतिबंध के कारण पदों के सृजन के सभी प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता है।

प्रशासन-1 अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	निपटान का अंतिम स्तर
01.	(i) मुख्य सचिवालय के कर्मचारियों के पेंशन के मामले से संबंधित सभी मामले 'भविष्य' पोर्टल के माध्यम से मुख्य सचिवालय के कर्मचारियों के पेंशन कागजात को तैयार करना और संसाधित करना; (ii) मीडिया यूनिटों के लिए 'भविष्य' का परिचय और निगरानी (iii) 'सीपीजीआरएमएस' पोर्टल के माध्यम से पेंशन शिकायतों की निगरानी और निपटान (iv) 'अनुभव' पोर्टल पर पेंशनभोगियों के लेखों की निगरानी और अपलोड करना	अनुभाग अधिकारी  अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक। अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।  अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव	अवर सचिव  संयुक्त सचिव (पी एंड ए) संयुक्त सचिव (पी एंड ए)  उप सचिव/निदेशक।
02.	मंत्रियों, सचिव और विदेशी वीआईपी के दौरे के संबंध में प्रोटोकॉल व्यवस्था।	प्रोटोकॉल अधिकारी / अनुभाग अधिकारी	उप सचिव या निदेशक।
03.	मुख्य सचिवालय में आतिथ्य से संबंधित मामले। (i) मामले जहां आतिथ्य नियमों के तहत लंच और डिनर के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है; (ii) अन्य मामले जैसे विभागीय बैठकों में चाय आदि परोसना। अनुमेय सीमा के भीतर कैंटीन बिल; (iii) विभागीय बैठकों में चाय आदि परोसना। अनुमेय सीमा से कैंटीन बिल आदि	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।  अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव  अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।	अपर सचिव एंड एफए की सहमति से सचिव।  उप सचिव/निदेशक। (विभागाध्यक्ष)  संयुक्त सचिव (पी एंड ए)
04	विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामांकन से संबंधित सभी मामले	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।, संयुक्त सचिव, सचिव	माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री

05	<p>एमटीएस के सभी सेवा मामले</p> <p>(i) अवकाश आदेश, वेतन वृद्धि आदि जारी करना।</p> <p>(ii) भर्ती/वेतन निर्धारण/तैनाती/स्थानांतरण/वरिष्ठता सूची/पुष्टि और अनुशासन मामले/पेंशन, डीसीआर उपदान के लिए नामांकन।</p> <p>(iii) भर्ती नियम बनाना और उसमें संशोधन करना।</p> <p>(iv) रोस्टर तैयार करना</p>	<p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव</p> <p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।</p> <p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव</p>	<p>अनुभाग अधिकारी उप सचिव/निदेशक।</p> <p>संयुक्त सचिव (पी एंड ए)</p> <p>उप सचिव/निदेशक।</p>
06	<p>सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूर्व संवर्ग पदों की रिक्तियों का संग्रह और एसएससी को ऑनलाइन रिपोर्ट करना।</p>	<p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव</p>	<p>उप सचिव/निदेशक।</p>
07	<p>आय और विधानसभा चुनाव से संबंधित मामले</p>	<p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव</p>	<p>उप सचिव/निदेशक।</p>
08	<p>भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय के अधिकारियों का प्रायोजन</p>		
	<p>(i) अराजपत्रित कर्मचारी/अवर सचिव के रैंक से नीचे के राजपत्रित कर्मचारी</p> <p>(ii) (क) अवर सचिव और उससे ऊपर के रैंक के राजपत्रित कर्मचारी</p> <p>संयुक्त सचिव/अपर सचिव</p> <p>सचिव</p>	<p>अनुभाग अधिकारी अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।</p> <p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक, संयुक्त सचिव (पी एंड ए)</p> <p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।</p> <p>संयुक्त सचिव (पी एंड ए), सचिव</p>	<p>अवर सचिव संयुक्त सचिव (पी एंड ए) सचिव एचएमआईबी (माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)</p>

09	<p>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिकों से संबंधित सभी मामले</p> <p>(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 'आरआरसीपी' पोर्टल पर अपलोड करने के लिए; सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट के लिए सभी मीडिया इकाइयों से डेटा का संग्रह और संकलन।</p> <p>(ii) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए सभी मीडिया यूनिटों से डेटा का संग्रह और संकलन। अल्पसंख्यकों की भर्ती पर वार्षिक रिपोर्ट;</p> <p>(iii) सरकारी सेवा में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के संबंध में सभी मीडिया इकाइयों से डेटा का संग्रह और संकलन।</p> <p>(iv) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व और भर्ती के संबंध में छमाही रिपोर्ट;</p> <p>(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के प्रति उत्पीड़न से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त परिवाद/शिकायत।</p> <p>(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विभिन्न रिपोर्टों पर परिपत्र/कार्रवाई ;</p> <p>(vii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों के साथ नियुक्ति और समन्वय;</p> <p>(viii) जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन, आवधिक रिपोर्ट के संबंध में।</p>	<p>अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव</p>	<p>उप सचिव/निदेशक ।</p>
10	समाचार पत्रों, संदर्भ पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि की खरीद।	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक ।

11	मंत्रालय के मंत्रियों/अधिकारियों के संबंध में मनोरंजन बिलों का भुगतान	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक ।
12	स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित विविध मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
13	प्रशासन-I में निपटाए गए विषय वस्तु से संबंधित संसदीय प्रश्न	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव/निदेशक।, संयुक्त सचिव (पी एंड ए), सचिव	एचएमआईबी
14	प्रशासन-I में निपटाए गए विषय वस्तु से संबंधित आरटीआई मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
15	प्रशासन-I में निपटाए गए विषय वस्तु पर वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक ।
16	संसद कार्य आदि के लिए अवकाश और कार्यालय समय के बाद ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की तैनाती	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव

**प्रशासन II/IV अनुभाग**

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	निपटान का अंतिम स्तर
1.	नियुक्तियां/रिलीविंग:-		
(क)	सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत नियुक्त अधिकारी, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, आदि।	अनुभाग अधिकारी(ए)/अवर सचिव(ए)/ उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	या मंत्री
(ख)	अवर सचिव (समूह 'क ') और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी और निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) आदि।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
(ग)	सभी समूह 'ख' (राजपत्रित) और (अराजपत्रित) अधिकारी, एसएचटी जिसमें सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पृथक पद आदि शामिल हैं	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)।	संयुक्त सचिव (ए)
(घ)	पृथक पदों सहित सभी समूह 'ग' पद आदि।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
(ङ)	एलडीसी ग्रेड में अनुकंपा नियुक्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
(च)	एचएमआईबी/ एचएमएसआईबी के कार्यालय में औपचारिक कर्मचारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
2.	डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति:-		
(क)	सभी समूह 'ख' (राजपत्रित) और (अराजपत्रित) पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
नोट:- उप सचिव/निदेशक (ए) डीपीसी के अध्यक्ष हैं जो पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। सिफारिशों को अगले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।			
(ख)	सभी ग्रुप 'सी' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)

	नोट: अवर सचिव (प्रशासन) डीपीसी का अध्यक्ष है जो पदोन्नति की सिफारिश करता है। सिफारिशों को अगले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।		
3.	इस्तीफा:-		
(क)	सभी ग्रुप 'क' अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
(ख)	सभी राजपत्रित पृथक पदों सहित सभी समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
(ग)	सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारियों जिसमें सभी अराजपत्रित पृथक पद शामिल हैं।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	सचिव
नोट: चूंकि सहायक ग्रेड में नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए उपरोक्त 1(ग) और 2(ख) के अनुसार संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इस्तीफे को संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा भी अनुमोदित किया जाएगा।			
(घ)	सभी समूह 'ग'	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
4.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:-		
(क)	सभी समूह 'क' अधिकारी और सभी समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
(ख)	सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
	अधिकारी		
(ग)	सभी समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)

5.	स्थानान्तरण/तैनाती :-		
(क)	संयुक्त सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/ संयुक्त सचिव (ए)/सचिव	मंत्री
(ख)	उप सचिव या निदेशक और समकक्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/ संयुक्त सचिव (ए)	सचिव
(ग)	अवर सचिव और समकक्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
(घ)	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
(ङ)	सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारी और सभी समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी (ए)	अवर सचिव(ए)
6.	अवकाश के मामले:-		
(I)	नियंत्रक अधिकारी की सिफारिशों पर अन्य सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश को छोड़कर) और ऐसी छुट्टी की स्वीकार्यता		
(क)	संयुक्त सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
(ख)	निदेशक और समकक्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/ संयुक्त सचिव (ए)	सचिव
(ग)	अवर सचिव और समकक्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
(घ)	समूह 'ख' (राजपत्रित) + (अराजपत्रित)	अनुभाग अधिकारी (ए)	अवर सचिव
(ङ)	समूह 'ग' के सभी कर्मचारी	अनुभाग अधिकारी (ए)	अवर सचिव
(II)	अध्ययन अवकाश		

	(क)	सभी समूह 'क' के लिए	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव (ए)/सचिव	मंत्री
	(ख)	सभी समूह 'ख' (राजपत्रित और अराजपत्रित) अधिकारियों के लिए	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
	(ग)	समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
7.	परिवीक्षा अवधि की समाप्ति और स्थायीकरण:-			
	(क)	सभी ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
	नोट: निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव(प्रशासन) डीपीसी के अध्यक्ष हैं जो परिवीक्षा अवधि की समाप्ति और पुष्टिकरण की सिफारिश करते हैं डीपीसी की सिफारिशें संयुक्त सचिव(प्रशासन) द्वारा अनुमोदित की जानी हैं			
	(ख)	सभी समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	निदेशक (ए)/उप सचिव (ए)
	नोट: अवर सचिव (प्रशासन) डीपीसी के अध्यक्ष हैं और इसकी सिफारिशों को अगले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है			
8.	वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना:-			
	(क)	समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अब सीएसएस और सीएसएसएस के समूह क और ख कर्मचारियों की केंद्रीकृत आधार पर वरिष्ठता सूची बना रहा है			
9.	वेतन निर्धारण:-			

	(क)	अवर सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
	(ख)	अनुभाग अधिकारी तक	अनुभाग अधिकारी (ए)	अवर सचिव
	(ग)	वेतन संबंधी मामले जिसमें डोओपीटी के स्पष्टीकरण/अनुमोदन की आवश्यकता होती है	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
10.	वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करना:-			
	(क)	प्रशासन III/IV के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मुख्य सचिवालय के सभी अधिकारियों के लिए।	अनुभाग अधिकारी (प्रशा.II/IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रशा.II/IV)
	(ख)	सहायकों और एलडीसी के टंकण परीक्षण के कारण रोकी गई वेतन वृद्धि जारी करना	अनुभाग अधिकारी (प्रशा.IV)/अवर सचिव(ए)	उप सचिव(ए)/निदेशक(ए)
11.	खुली परीक्षा के लिए आवेदन अग्रेषित करना:-		अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव(प्रशासन)
12.	प्रतिनियुक्ति के मामले:-			
	I	आवेदनों को अग्रेषित करना:-		
	(क)	संयुक्त सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	या मंत्री
	(ख)	निदेशक/उप सचिव/ अवर सचिव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
	(ग)	समूह 'ख' (राजपत्रित + अराजपत्रित)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव (ए)/ उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)	संयुक्त सचिव (ए)

	(घ)	सभी समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी (प्रशा. II/IV)/अवर सचिव(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
	II	प्रतिनियुक्ति पदों के लिए कार्यकाल विस्तार:-		
	(क)	चौथे वर्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
	(ख)	पांचवा वर्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	या मंत्री
	III	पूर्वसंवर्ग पदों में कार्यकाल विस्तार हेतु संवर्ग स्वीकृति:-		
	(क)	अनुभाग अधिकारी /डेस्क अधिकारी/निजि सचिव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
	(ख)	सहायक, यूडीसी और एलडीसी के लिए	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
13.	आचरण नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति/पूर्व स्वीकृति/स्वीकृति:-			
	(क)	सचिव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए) /सचिव	मंत्री
	(ख)	अपर सचिव और संयुक्त सचिव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव

	(ग)	निदेशक/ उप सचिव	अनुभाग या अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक (ए)	संयुक्त सचिव (ए)
	(घ)	अवर सचिव और ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) और (अराजपत्रित) और सभी ग्रुप 'सी' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
14.		पासपोर्ट के लिए पहचान प्रमाण पत्र:-	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
15.		अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण के लिए आवेदन:-		
	(क)	समूह 'ख' (राजपत्रित और गैर राजपत्रित)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
	(ख)	सभी समूह 'ख' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
16.		एफआर 56(जे) के तहत समीक्षा के बाद सेवानिवृत्ति:-		
	(क)	समूह 'क' के अधिकारियों और उन मामलों के लिए जहां राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
	(ख)	समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारियों के लिए मद 'क' में उल्लिखित को छोड़कर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	सचिव
	(ग)	मद 'क' में उल्लिखित को छोड़कर समूह 'ख' (अराजपत्रित) अधिकारियों के लिए	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	निदेशक/उप सचिव (ए)
	(घ)	समूह 'ग' पदों के लिए	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)	उप सचिव (ए) या निदेशक (ए)
		नोट: (ख) और (ग) के मामलों में समीक्षा समितियों की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (प्रशासन) करेंगे।		
17.		मुख्य सचिवालय में पदों का सृजन आदि। (डीएफपीआर का नियम 11-14):-		

I	सृजन:-		
(क)	स्थायी पद i) संयुक्त सचिव और ऊपर। ii) संयुक्त सचिव स्तर से नीचे समूह 'क' पद और समूह 'ख' पद iii) समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/ एफए/सचिव	मंत्री
(ख)	अस्थायी पद i) संयुक्त सचिव और ऊपर ii) संयुक्त सचिव के नीचे ग्रुप 'क' के पद iii) समूह 'ख' और ग के पद		
II	अस्थायी पदों को जारी रखना:-		
(क)	संयुक्त सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/एफए/सचिव	मंत्री
(ख)	संयुक्त सचिव के नीचे समूह 'क' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/एफए	सचिव
(ग)	समूह 'ख' और ग पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/एफए	सचिव
III	अस्थायी पदों का स्थायी पदों में परिवर्तन:-		
(क)	संयुक्त सचिव और ऊपर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/एफए/सचिव	मंत्री
(ख)	संयुक्त सचिव के नीचे समूह 'क' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/ संयुक्त सचिव (ए)/एफए	सचिव
(ग)	समूह 'ख' और 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/एफए	सचिव

	IV	पदों को समाप्त करना:-		
	(क)	स्थायी पद i)संयुक्त सचिव स्तर से नीचे समूह 'क' पद और समूह 'ख' पद ii)समूह 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए) /एफए/सचिव	या मंत्री
	(ख)	अस्थायी पद i) संयुक्त सचिव और ऊपर ii) संयुक्त सचिव के नीचे समूह 'क' पद iii)समूह 'ख' और 'ग' पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए) /एफए/सचिव	या मंत्री
18.	भर्ती नियमों का निर्धारण/संशोधन:-			
	(क)	विभागाध्यक्ष और संगठित सेवाएं	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	या मंत्री
	(ख)	समूह 'क' और 'ख' में पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)	या सचिव
	(ग)	समूह 'ग' में पद	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)
19.	पुरस्कार:-			
	(क)	भारत रत्न/पद्म पुरस्कार	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव	मंत्री
	(ख)	अन्य पुरस्कार	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव(ए)/उप सचिव(ए) या निदेशक(ए)	संयुक्त सचिव (ए)

\* मद संख्या 17 के लिए, आईएफडी, वित्त मंत्रालय और डेस्क अधिकारीपीएण्डटी का अनुमोदन नियमों के तहत विशेष रूप से वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के नियम 11-14 के तहत आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना है।

## प्रशासन-III अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	रिक्रिएशन क्लब को सहायता अनुदान जारी करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	विभागाध्यक्ष
2.	गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों के लिए अधिकृत चिकित्सा परिचारक की नियुक्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	विभागाध्यक्ष
3.	विभाग परिषद की बैठकें	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव(ए) /जैसा	सचिव
4.	कार्यालय परिषद की बैठकें	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष	सचिव
5.	सेवा संघ की मान्यता	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव(ए)/अपर सचिव/ सचिव	मंत्री
6.	फैक्स/आरएएक्स मशीन/इलेक्ट्रिक/मैनुअल टाइपराइटर/हॉट एंड कोल्ड अरेंजमेंट, फोटोकॉपियर इलेक्ट्रॉनिक डुप्लीकेटिंग मशीन और अन्य कार्यालय उपकरण कंप्यूटर/प्रिंटर/यूपीएस के लिए एएमसी प्रदान करना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	विभागाध्यक्ष
7.	सूचना भवन के निर्माण के लिए योजना/गैर-योजना के तहत धनराशि जारी करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष	संयुक्त सचिव
8.	फर्नीचर की खरीद: कार्यालय उपकरण जैसे कंप्यूटर/प्रिंटर/यूपीएस, फोटोकॉपियर, फ्रेंकिंग मशीन, फैक्स मशीन, बिजली, डुप्लीकेटिंग मशीन, शेडर्स केटीएस सिस्टम आदि ठीक करना। साइकिल, स्टाफ कार, विविध वस्तुओं की खरीद, स्टेशनरी, छपाई सामग्री, अधिकारी की मोहर तथा धुलाई संबंधी व्यय।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	विभागाध्यक्ष
9.	डाक/टेलीफोन प्रभार सीजीएचएस/पुस्तकालय कार्ड जारी करना	अनुभाग अधिकारी	अनुभाग अधिकारी
10.	वर्दी की खरीद और आपूर्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	विभागाध्यक्ष
11.	भाड़ा और विलंब शुल्क	अनुभाग अधिकारी	कार्यालय प्रमुख

12.	<p>पहचान पत्र :</p> <p>(i)सुरक्षा जोन में कार्यरत हकदार अधिकारियों के लिए पहचान पत्र</p> <p>(ii)सुरक्षा क्षेत्र से बाहर के कर्मचारियों के लिए</p> <p>(iii)गैर-सरकारी पास के लिए</p> <p>(iv) अन्य वाआईपी जैसे सेवानिवृत्त सचिव आदि/सह-कार्यकारी</p> <p>(v) पेंशनभोगी आई-कार्ड जो मुख्य सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए हैं।</p>	<p>(i)अनुभाग अधिकारी</p> <p>(ii)अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष</p> <p>(iii)अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव (iv)अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव (वी)अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव</p>	<p>(i) कार्यालय प्रमुख</p> <p>संयुक्त सचिव (ए)</p> <p>विभागाध्यक्ष (iv) सचिव (v) अवर सचिव</p>
13.	<p>मुख्य सचिवालय में कार्यालय के उचित रखरखाव, देखभाल की व्यवस्था, सामान्य साफ-सफाई के संबंध में सभी सामान्य व्यवस्थाएं ।</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव</p>	<p>विभागाध्यक्ष</p>
14.	<p>अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय और आवास की व्यवस्था</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव</p>	<p>विभागाध्यक्ष</p>
15.	<p>सामान्य कर्मचारी कल्याण</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव</p>	<p>विभागाध्यक्ष</p>
16.	<p>संविदा कर्मचारी (एमटीएस) की भर्ती</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव(ए)/आईएफडी</p>	<p>सचिव</p>
17.	<p>वाहनों को किराए पर लेना</p>	<p>अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव(ए)/आईएफडी</p>	<p>सचिव</p>

## राजभाषा इकाई

क्र.सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1	अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और इसके विपरीत।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/उप निदेशक (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	वर्तमान में जेडी (ओएल)
2	समय-समय पर राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों का क्रियान्वयन।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	वर्तमान में जेडी(ओएल)
3	मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और अनुभागों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में प्राप्त होने वाली त्रैमासिक प्रगतिशील रिपोर्टों पर समन्वय, सुरक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	वर्तमान में जेडी(ओएल)
4	समय-समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में प्राप्त विभिन्न परिपत्रों तथा निर्देशों का परिचालन।	सहायक निदेशक (राजभाषा)	एडी (राजभाषा)
5	राजभाषा विभाग को उनके द्वारा समय-समय पर मांगी गई हिंदी से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में सूचना एकत्र करना, संकलित करना और अग्रेषित करना।	सहायक निदेशक (राजभाषा)	एडी (राजभाषा)
6	मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं पदाधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	एचएमआईबी/ संयुक्त सचिव
7	केंद्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से जुड़े मामले मीडिया इकाइयों की राजभाषा की कार्यान्वयन समिति और अन्य विविध समिति।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	एचएमआईबी/ संयुक्त सचिव
8	हिंदी के प्रसार और विकास में तेजी लाने के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट और विभिन्न आधिकारिक भाषाओं के लिए इसका उत्तरोत्तर उपयोग	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
9	हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के उद्देश्य से मंत्रालय के कर्मचारियों के रोस्टर का रखरखाव।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव

10	हिंदी और हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, में प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों का नामांकन और कक्षाओं में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
11	हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए मीडिया इकाइयों द्वारा अधिकारियों के नामांकन के संबंध में प्रगति की निगरानी।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	वर्तमान में जेडी (ओएल)
12	हिंदी में गहन प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों का नामांकन और मीडिया इकाइयों के संबंध में इस दिशा में प्रगति की निगरानी करना	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
13	हिन्दी की परीक्षा का परिणाम।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी(राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
14	उपरोक्त विषयों पर संसदीय प्रश्न/आश्वासन/वीआईपी/एमपी/ पीएमओ संदर्भ, ऑडिट आपत्तियां।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
15	हिंदी पत्रिका का प्रकाशन।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
16	हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव
17	विभिन्न मीडिया इकाइयों/एनजीओ द्वारा आयोजित हिंदी सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी।	सहायक निदेशक (राजभाषा)/डीडी (राजभाषा)/निदेशक (राजभाषा)	संयुक्त सचिव

## रोकड़ अनुभाग

क्र.सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	जीपीएफ अग्रिम/निकासी और अंतिम भुगतान प्रदान करना (क) राजपत्रित के लिए (ख) अराजपत्रित के लिए	आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख	विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख
2.	कंप्यूटर एडवांस	आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख	विभागाध्यक्ष
6.	गृह निर्माण अग्रिम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुख	विभागाध्यक्ष
7.	एलटीसी अग्रिम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
8.	अवकाश वेतन अग्रिम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
9.	बाल शिक्षा भत्ता की स्वीकृति	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
10.	वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
12.	टीए बिल	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
13.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	आहरण एवं संवितरण अधिकारी /कार्यालय प्रमुख	विभागाध्यक्ष
14.	वेतन बिल/आपूर्ति बिल/आकस्मिक बिल/टीए/एयरइंडिया बिल/ओटीए/मेडिकल बिल आदि तैयार करना ।	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
15.	मुख्य सचिवालय के संबंध में बजट अनुमान तैयार करना।	आहरण एवं संवितरण अधिकारी /कार्यालय प्रमुख /एचओ/विभागाध्यक्ष	संयुक्त सचिव
16.	स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
17.	मंत्रियों का टीए बिल	आहरण एवं संवितरण अधिकारी /विभागाध्यक्ष	संबंधित मंत्री
18.	मंत्रियों के वेतन बिल	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख

19.	आतिथ्य सत्कार, अनुदान सहायता, प्रकाशन, किराया और करों के संबंध में बिल तैयार करना, लघु कार्यों सहित सूचना भवन का निर्माण	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
20.	सभी कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का रखरखाव जिनका वेतन आदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जाता है	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
21.	उन सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र आदि पर जीपीएफ/सीजीईजीआईएस का रखरखाव, जिनका वेतन आदि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जाता है।	आहरण एवं संवितरण अधिकारी / कार्यालय प्रमुख आहरण एवं संवितरण अधिकारी / कार्यालय प्रमुख	विभागाध्यक्ष
22.	पीएण्डएओ(एमएसएंडपीएण्डएओ (इरला) दोनों के साथ व्यय आंकड़ों का मिलान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
23.	मासिक व्यय विवरण तैयार करना और बीएंडए अनुभाग को प्रस्तुत करना	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
24.	समेकित आयकर रिटर्न तैयार करना	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	वेतन सर्कल आयकर अधिकारी
25.	रोकड़ अनुभाग में निपटाये गये विषय पर अन्य विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त आदेशों/दिशानिर्देशों का परिचालन	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
26.	प्राकृति क विपत्तियाँ के संबंध में अग्रिम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी

नोट: (i) मुख्य सचिवालय के उप सचिव या निदेशक को डीएफपीआर, 1978 के नियम 3(एफ) के तहत मुख्य सचिवालय के विभागाध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) के रूप में घोषित किया गया है।

ii) अवर सचिव (प्रशासन) को डीएफपीआर, 1978 के नियम 14 के तहत मुख्य सचिवालय के लिए कार्यालय प्रमुख (कार्यालय प्रमुख) घोषित किया गया है।

## सतर्कता अनुभाग

सतर्कता मामले अर्ध-न्यायिक होते हैं जिनमें संबंधित नियुक्ति/अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा सांविधिक शक्तियों का प्रयोग शामिल होता है। सतर्कता अनुभाग द्वारा सीसीएस (सीसी एंड ए) नियम, 1965 और सतर्कता नियमावली में निर्धारित शिकायतों, अनुशासनात्मक, अपील/पुनरीक्षण/समीक्षा के मामलों के निपटान के स्तर का पालन किया जा रहा है।

## प्रसारण विंग

### बीसी-1 अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की प्रकृति	प्रस्तुति करने का चैनल	निपटान का अंतिम स्तर
1.	भ्रामक विज्ञापनों पर सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ परिवाद/ शिकायत याचिका	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव	अनुभाग अधिकारी
	(i) ईएमएमसी से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना		
	(ii) टीवी चैनल से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
2.	भ्रामक विज्ञापनों पर निजी टीवी चैनलों द्वारा उल्लंघन/घोर उल्लंघन के बारे में ईएमएमसी की रिपोर्ट -	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव	अनुभाग अधिकारी
	(i) सीडी और टिप्पणियाँ प्राप्त करना		
	(ii) टीवी चैनल से सीडी और टिप्पणियाँ प्राप्त करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
	(iii) ईएमएमसी/संबंधित चैनलों से प्राप्त सीडी और टिप्पणियों के आधार पर मंत्रालय की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक >संयुक्त सचिव
3.	भ्रामक विज्ञापनों पर अपर एएससीआई को परिवाद/ शिकायत याचिका भेजना।	(i)अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक ।

		(ii) अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव (कार्रवाई का तरीका तय करने के लिए कि क्या मामले को एएससीआई को संदर्भित किया गया है यदि मामला गंभीर हो)	ii) अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक >संयुक्त सचिव (कार्रवाई का तरीका तय करने के लिए कि क्या मामले को एएससीआई को संदर्भित किया गया है यदि मामला गंभीर हो)
4.	मामलों को आईएमसी के समक्ष उसकी सिफारिशों के लिए रखने हेतु प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक >संयुक्त सचिव>अपर सचिव
5.	अनुमोदन के लिए आईएमसी बैठकों की कार्यसूची प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक >संयुक्त सचिव
6.	आईएमसी बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक >संयुक्त सचिव>अपर सचिव
7.	टीवी चैनलों को एससीएन/एडवाइजरी/चेतावनी/निर्देश/आदेश जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव। ( यदि मामला ऐसा वारंट है तो सचिव फाइल को मंत्री के पास भेज सकते हैं )	फिर से शब्दबद्ध किया जा रहा है और मामलों को अलग किया जा रहा है (नीचे संदर्भित)।

8.	वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव	अनुभाग अधिकारी
	(i) ईएमएमसी से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना		
	(ii) टीवी चैनलों से सीडी और टिप्पणियाँ प्राप्त करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
	(iii) अंतिम उत्तर	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव>माननीय मंत्री	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव>माननीय मंत्री
9.	आरटीआई आवेदन	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव (सीपीआईओ)	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव (सीपीआईओ)
	(i) मूल आरटीआई आवेदन के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना		
	(ii) अपील के बाद सूचना प्रदान की जाती है	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव (सीपीआईओ)>उप सचिव/निदेशक।
10.	नीतिगत मामले (कानूनी आवश्यकता के अलावा)	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>ए स>सचिव।
11.	संसदीय प्रश्न	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव
	(i) प्रसारण के भीतर इनपुट/टिप्पणियां प्रस्तुत करना।		
	(ii) मंत्रालयों के अन्य विंग/अन्य मंत्रालयों को इनपुट/टिप्पणियां/सामग्री भेजना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव

12.	उन मामलों में जवाब भेजना, जिनमें कार्यवाही हो चुकी है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक।	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
13.	निजी एफएम रेडियो चैनलों के खिलाफ परिवाद/शिकायत याचिका	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
	(i) बेसिल या संबंधित एफएम रेडियो चैनलों से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना।		
	(ii) मामले को आईएमसी के समक्ष इसके विचार/सिफारिश के लिए रखना	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव> उप सचिव/निदेशक> संयुक्त सचिव> अपर सचिव	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
	(iii) एससीएन/एडवाइजरी/चेतावनी/निदेश/आदेश जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव। (यदि मामला आवश्यक हो तो सचिव फाइल को मंत्री के पास भेज सकते हैं)	फिर से शब्दबद्ध किया जा रहा है और वस्तुओं को अलग किया जा रहा है। (नीचे संदर्भित)
	नोट: सचिव अपने विवेक के अनुसार या यदि मामला ऐसा वारंट करता है तो मामलों को माननीय मंत्री को संदर्भित कर सकते हैं।		
	नई मर्दे		
14	शिकायतों के रूटीन, गैर विशिष्ट प्रकृति के होने के मामले में जहां कार्यक्रम	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव

	या विज्ञापन संहिता का किसी तरह का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, तो ऐसे मामलों को बंद कर दिया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो शिकायतकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है।		
15	प्रोग्राम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों के संबंध में:  यदि प्रथमदृष्टया उल्लंघन होता है, तो शिकायत को कार्रवाई के लिए एएससीआई को भेजा जाता है। फिर मामले पर तदनुसार निर्णय लिया जाता है।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
16	मामले की संवेदनशीलता या अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के खिलाफ शिकायत अपर एएससीआई को नहीं भेजी जाती है और मंत्रालय स्वयं चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
17	टीवी सामग्री, एफएम सामग्री या अन्य संबंधित मामलों से संबंधित मामलों को आईएमसी के समक्ष इसके विचारों/सिफारिशों के लिए रखा जाता है।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
18	टीवी चैनलों को एडवाइजरी/निर्देशिका/चेतावनी जारी करना।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
19	टीवी चैनलों को क्षमायाचना स्कॉल चलाने, उपक्रम प्रस्तुत करने आदि के लिए आदेश जारी करना।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
20	शिकायतों पर स्व-विनियामक निकाय (एएससीआई) द्वारा प्रस्तुत निर्णय/टिप्पणियों को स्वीकार या अस्वीकार करना।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
21	विज्ञापन उल्लंघन के लिए रेडियो स्टेशनों को एससीएन जारी करना	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
22	एफएम रेडियो स्टेशनों को एडवाइजरी/निर्देशिका/चेतावनी जारी करना	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव

23	जांच समिति द्वारा अनुशंसित उल्लंघन के मामलों को एएससीआई को संदर्भित करना	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
24	कैबिनेट नोट/मामलों पर टिप्पणियां	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
25	भ्रामक विज्ञापनों पर अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति (आईएमएमसी) की बैठक।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
26	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) - कॉपीराइट और संबंधित अधिकार (अपर सचिवसीसीआर) बैठक संबंधी स्थायी समिति।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
27	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग (आरईसीपी) बैठक।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
28	भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों के लिए इनपुट प्रदान करना	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
29	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) का प्रशासनिक/वित्तीय कार्य	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
30	अनुदान मांगों की जांच के लिए सामग्री तैयार करना।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
31	संसद की स्थायी समिति के लिए सामग्री तैयार करना ।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव
32	जीएफआर 2017 के अनुसार आउटसोर्सिंग सेवाओं अर्थात् हाउसकीपिंग, सुरक्षा और ईएमएमसी के लिए निजी वाहन किराये पर लेने के लिए आईएफडी/सचिव का अनुमोदन प्राप्त करना।	नए	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव>सचिव

## बीसी-II अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1	संसद प्रश्न (तारांकित)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	एचएमआईबी (माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
2	संसद प्रश्न (अतारांकित)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	एमओएस (माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
3	संसदीय आश्वासन, स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति आदि से संबंधित सभी मामले)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/अपर सचिव/सचिव	एमओएस सचिव (माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री)
4	संसदीय प्रश्नों आदि के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित करना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	निदेशक/संयुक्त सचिव
5	संवीक्षा समिति मामले/एससीएन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव
6	आईएमसी मामलों से संबंधित चेतावनी/एडवाइजरी/आदेश आदि	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
7	निजी टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाली सामग्री के संबंध में अदालती मामलों से संबंधित पैरा-वार टिप्पणियां	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव/अपर सचिव
8	निजी टीवी चैनल पर प्रसारित सामग्री के संबंध में अदालती मामलों से संबंधित प्रतिशपथ पत्र	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	अपर सचिव/सचिव
9	अदालती मामले के संबंध में टिप्पणियों की मांग करना	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/निदेशक
10	एफएम चैनल और सीआरअपर सचिव सहित निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारण सामग्री के संबंध में राज्य / जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन से संबंधित मामले।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	अपर सचिव/सचिव

## बीसी-III अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की प्रकृति	प्रस्तुत करने का चैनल और निपटान का अंतिम स्तर
1.	सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ परिवाद/शिकायत याचिका	अनुभाग अधिकारी
	(i) ईएमएमसी से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	
	(ii) टीवी चैनल से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	
2.	निजी टीवी चैनलों द्वारा उल्लंघन/घोर उल्लंघन के बारे में ईएमएमसी की रिपोर्ट-	अनुभाग अधिकारी
	(i) ईएमएमसी से सीडी और टिप्पणी प्राप्त करना	
	(ii) टीवी चैनल से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	
	(iii) ईएमएमसी/संबंधित चैनलों से प्राप्त सीडी और टिप्पणियों के आधार पर मंत्रालय की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना।	
3.	आईबीएफ(बीसीसीसी), एनबीए(एनबीएसए) और एससीआई को परिवाद/शिकायत याचिका का संदर्भ देना	(i) अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक
		(ii) अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक> संयुक्त सचिव (कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए कि क्या मामले को आईबीएफ / एनबीए एससीआई को संदर्भित किया गया है यदि मामला गंभीर है।)
4.	आईएमसी की सिफारिशों हेतु उसके रखने के लिए मामलों को प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
5.	अनुमोदन के लिए आईएमसी बैठकों की कार्यसूची प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव
6.	आईएमसी बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
7.	टीवी चैनलों को एससीएन/एडवाइजरी/चेतावनी/निदेश/आदेश जारी करना	पुनः शब्दित किया जा रहा है और मर्दों को अलग किया जा रहा है (नीचे संदर्भित)।
8.	वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी
	(i) ईएमएमसी से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	

	(ii) टीवी चैनल से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
	(iii) अंतिम उत्तर	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव >सचिव>माननीय मंत्री जी
9.	आरटीआई आवेदन	
	(i) मूल आरटीआई आवेदन के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव (सीपीआईओ)

	(i) मूल आरटीआई आवेदन के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव (सीपीआईओ)
	(ii) अपील के बाद प्रदान की जाने वाली सूचना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव (सीपीआईओ)>उप सचिव/निदेशक।
10.	नीतिगत मामले (कानूनी आवश्यकता वाले मामले के अलावा)	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव > सचिव।
11.	संसद प्रश्न	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव
	(i) प्रसारण के भीतर इनपुट/टिप्पणियां प्रस्तुत करना	
	(ii) मंत्रालयों के अन्य विंगों/अन्य मंत्रालयों को इनपुट/टिप्पणियां/सामग्री भेजना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव
12.	शिकायतकर्ता को उन मामलों में जवाब भेजना जहां कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
13.	निजी एफएम रेडियो चैनलों के खिलाफ शिकायत/परिवाद याचिका	अनुभाग अधिकारी> अवर सचिव
	(i) बेसिल या संबंधित एफएम रेडियो चैनलों से सीडी और टिप्पणियां प्राप्त करना	
	(ii) आईएमसी के समक्ष इसके विचार/सिफारिशों के लिए मामले को रखना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>उप सचिव/निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
	(iii) एससीएन/एडवाईजरी/चेतावनी/निर्देश/आदेश जारी करना	फिर से शब्दबद्ध किया जा रहा है और मर्दों को अलग किया जा रहा है। (नीचे संदर्भित)
	नई मर्दें	

14	नियमित, अविनिर्दिष्ट प्रकृति की शिकायतों के मामले में जहां कार्यक्रम या विज्ञापन संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया जाता है, ऐसे मामलों को बंद कर दिया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो शिकायतकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
15	प्रोग्राम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों के संबंध में: i) यदि कोई प्रत्यक्षत उल्लंघन होता है, तो शिकायत स्व-विनियमन एजेंसियों अर्थात् एनबीए या बीसीसीसी को संदर्भित की जाती है, यदि प्रश्नाधीन चैनल उनका सदस्य होता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
	ii) यदि चैनल एनबीए या बीसीसीसी का सदस्य नहीं है, तो मंत्रालय चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है; और चैनलों को एससीएन जारी किया जाता है (चाहे सदस्य हों या नहीं)।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
	iii) उल्लंघन या अन्यथा के कुछ मामलों में, चैनल को कोई एससीएन जारी किए बिना मामले का निस्तारण किया जाता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
	iv) इस तथ्य के बावजूद कि चैनल एनबीए/एनबीअपर सचिवए या आबीएफ/बीसीसीसी का सदस्य है, मंत्रालय मामले की संवेदनशीलता/तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
16	मामले की संवेदनशीलता या तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन के खिलाफ शिकायत अपर एससीआई को नहीं भेजी जाती है और मंत्रालय स्वयं चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
17	टीवी सामग्री, एफएम सामग्री या अन्य संबंधित मामलों से संबंधित मामलों को आईएमसी के समक्ष इसके विचार/सिफारिशों के लिए रखा जाता है।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव>अपर सचिव
18	टीवी चैनलों को एडवाईजरी/निर्देशिका/चेतावनी जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
29	माफीनामा चलाने शपथ पत्र प्रस्तुत करने आदि के लिए टीवी चैनलों को आदेश जारी करना।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
20	चैनलों का प्रसारण बंद करने के आदेश करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव

21	शिकायतों पर स्व-नियामक निकायों अर्थात् एनबीए, बीसीसीसी और अपर एससीआई द्वारा प्रस्तुत निर्णय/टिप्पणियों की स्वीकृति या अस्वीकृति ।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
22	सामग्री उल्लंघन के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को एससीएन जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
23	एफएम रेडियो स्टेशनों को एडवाइजरी/निर्देशिका/चेतावनी जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
24	एफएम रेडियो स्टेशनों को बंद करने के आदेश जारी करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
25	जांच समिति द्वारा अनुशंसित उल्लंघन के मामलों को एनबीए/बीसीसीसी को संदर्भित करना, यदि चैनल उनके सदस्य चैनल हैं।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
26	संवीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित उल्लंघन के मामलों को एससीआई को संदर्भित करना	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
27	संवीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए उल्लंघन के मामलों को एनसीपीसीआर, एनसीडब्ल्यू, आदि को संदर्भित करना।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव
28	टीआरपी से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के साथ बातचीत और इस विषय पर बार्क के साथ बैठकें आयोजित करना।	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव
29	कैबिनेट नोट/मामलों पर टिप्पणियां	अनुभाग अधिकारी>अवर सचिव>निदेशक>संयुक्त सचिव >अपर सचिव>सचिव

## बीपी एंड एल अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियम  स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए नियम।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री*
2.	डीटीएच ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करना, एचआईटीअपर सचिव संचालकों को अनुमति और टीआरपी एजेंसी का पंजीकरण।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री*
3.	विभिन्न नीतियों के निर्माण/संशोधन सहित ट्राई की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री*
4.	सासंद/वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री*
5.	संसदीय प्रश्न/ आश्वासन / स्थायी परामर्शदात्री समिति के संदर्भ / पीएसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन/ सम्मिलित विषयों पर ऑडिट पैरा	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री*
6.	अदालती मामले	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/ संयुक्त सचिव	अपर सचिव

7.	डीटीएच/एचआईटीअपर सचिव/टीआरपी/आईपीटी वी सेवाओं से संबंधित शिकायत	अनुभाग अधिकारी/ अवर सचिव/ उप सचिव/ निदेशक/ संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव (बी)
8.	(क) आरटीआई आवेदन  (ख) आरटीआई अपील	क) अनुभाग अधिकारी  ख) अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव (सीपीआईओ)	क) अवर सचिव (सीपीआईओ)  ख) उप सचिव या निदेशक (अपीलीय प्राधिकारी)

\*नोट - मंत्री समय-समय पर मौजूदा प्रतिनिधिमंडलों के अनुसार राज्य मंत्री शामिल करते हैं।

## टीवी (इन्सैट) अनुभाग

क्र.सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1	नए चैनल को अपलिक करने की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव/माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री	एचएमआईबी(माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
2	नये चैनल को डाउनलिक करने की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव/माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री	एचएमआईबी(माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
3	लोक सभा/राज्यसभा प्रश्न	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव/माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री	एचएमआईबी(माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
4	सासंद/वीआईपी संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव/माननीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री	एचएमआईबी(माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री)
5	भारत में टेलीपोर्ट संचालित करने की अनुमति प्रदान करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	सचिव
6	टीवी चैनलों/कंपनियों से विलयन/विघटन प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	सचिव
7	एसएचपी/स्वामित्व में परिवर्तन।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	सचिव
8	वायरलेस प्लानिंग और समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी)से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	अपर सचिव
9	टीवी चैनलों के लिए अनुमति का नवीनीकरण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	अपर सचिव

10	विदेशी मुद्रा प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	अपर सचिव
11	अनुमति रद्द करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	अपर सचिव
12	इनसैट समन्वय समिति (आईसीसी) से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
13	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कैबिनेट नोट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
14	अन्य विभागों से कैबिनेट नोट पर टिप्पणियाँ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
15	नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
16	एफआईपीबी प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
17	टेलीपोर्ट बदलने की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
18	निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुमति।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
19	कंपनी के नाम/पते में परिवर्तन /निदेशक के इस्तीफे के लिए अनुमति।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
20	नाम, लोगो, प्रसारण का तरीका और टीवी चैनल की भाषा बदलने की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
21	टीवी चैनल की श्रेणी बदलने की अनुमति।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव(बी I)
22	टीवी चैनल को दोहरे इल्युमिनेशन के लिए अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव(बी I)
23	अस्थायी अपलिंकिंग	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक	निदेशक (बीसी)
24	सैटेलाइट बदलने की अनुमति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक	निदेशक (बीसी)
25	डीएसएनजी वैन किराए पर लेने की अनुमति।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/निदेशक।	निदेशक (बीसी)

## डास अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	मल्टीसिस्टम ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव (बी-1)	अपर सचिव
2.	केबल टीवी डिजिटाइजेशन से संबंधित अदालती मामले।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव (बी-1)	अपर सचिव
3.	विभिन्न टीवी वितरण प्लेटफॉर्म के संबंध में एफआईपीबी।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	सचिव
4.	सासंद/वीआईपी संदर्भ/संसद प्रश्न/ आश्वासन/स्थायी सलाहकार समिति के संदर्भ/दास की सिफारिशों का कार्यान्वयन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव/सचिव	मंत्री
5.	केबल आपरेटरों आदि के खिलाफ प्राप्त परिवाद/शिकायत याचिकाएं।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव
6.	आरटीआई आवेदन	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
7.	बीएंडए/पीसी सेल को भेजे गए वित्तीय इनपुट।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव	संयुक्त सचिव
8.	केबल टीवी डिजिटाइजेशन के संबंध में पीएमओ संदर्भ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	सचिव

## न्यू मीडिया सेल

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	उप योजना 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म' का आरसीई/ईएफसी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी (एनएमडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (बी-1)
2.	सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन और बेसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और उसका विस्तार, यदि आवश्यक हो	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी/संयुक्त सचिव(बी-1)/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सचिव
3.	न्यू मीडिया विंग के उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों से परे उनके प्रशासनिक मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/संयुक्त सचिव (बी-1)	सचिव
4.	न्यू मीडिया विंग के उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/संयुक्त सचिव(बी-1)/अपर सचिव एंड एफए	सचिव
5.	एनएमडब्ल्यू और उप-योजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और अंतिम अनुदान	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी	संयुक्त सचिव (बी-1)
6.	निष्पादन बजट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी	संयुक्त सचिव (बी-1)
7.	बेसिल को निधि जारी करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी/संयुक्त सचिव(बी-1)	एएस एंड एफए (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार)
8.	परियोजना निगरानी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी/संयुक्त सचिव(बी)	सचिव
9.	सोशल मीडिया प्रचार अर्थात् टॉकथॉन, फेसबुक लाइव, आईएफएफआई कवरेज आदि से संबंधित प्रस्ताव	एडी(एनएमडब्ल्यू)/अवर सचिव(एनएमसी)/एडीजी(एनएमडब्ल्यू)	संयुक्त सचिव (बी-1)/ सचिव
10.	शिकायतों का निवारण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी	संयुक्त सचिव (बी-1)
11.	आरटीआई मामले	अनुभाग अधिकारी/एडी(एनएमडब्ल्यू)	अवर सचिव

12.	न्यू मीडिया सेल के संबंध में वार्षिक योजना और वार्षिक रिपोर्ट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी	संयुक्त सचिव (बी-1)
13.	न्यू मीडिया सेल के लिए वाहन किराए पर लेना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव /संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सचिव
14.	न्यू मीडिया सेल के प्रदर्शन पर रिपोर्ट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/एडीजी	संयुक्त सचिव (बी-1)
15.	विविध रिपोर्ट और रिटर्न	अनुभाग अधिकारी/एडी(एनएमडब्ल्यू)	अवर सचिव

## प्रसारण-II विंग

### बीसी-IV अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	सासंद/वीआईपी/पीएमओ का संदर्भ	अनुभाग अधिकारी/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव।	एमएसआईबी/एमआईबी(सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री/सूचना और प्रसारण मंत्री)
2.	संसदीय प्रश्न/आश्वासन/ध्यानाकर्षण सूचना आदि।	अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव।	एमएसआईबी/एमआईबी(सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री/सूचना और प्रसारण मंत्री)
3.	दूरदर्शन/आकाशवाणी के लिए सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण/उत्पादन के लिए प्रस्तावों का प्रसंस्करण	अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव।	एमएसआईबी/एमआईबी(सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री/सूचना और प्रसारण मंत्री)
4.	एआईबीडी, एबीयू और खेल कवरेज से संबंधित दूरदर्शन/आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों के विदेशी प्रतिनियुक्ति के मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव।	एमएसआईबी/एमआईबी(सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री/सूचना और प्रसारण मंत्री)
5.	दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रमों से संबंधित अन्य देशों के साथ निर्माण करार (एमओयू)।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	एमएसआईबी/एमआईबी या सचिव (जैसा मामला हो)
6.	डीडी कशीर, डीडी उर्दू, डीडी-एनई से संबंधित मामले (कशीर चैनल के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति सहित)	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
7.	आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से संबंधित समन्वय/नीति संबंधी मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव

8.	आईटी पर स्थायी समिति/परामर्शदात्री समिति के संदर्भ/पीएसी की सिफारिश का कार्यान्वयन /अदालती मामले यहां निहित विषय पर मामले/ऑडिट पैरा।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
9.	एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी)/ एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (एबीयू)/वार्षिक सदस्यता/एआईबीडी के लिए प्रशिक्षण फंड से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
10.	शिकायत याचिकाएं	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव	संयुक्त सचिव (बी-II)
11.	दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री, टेलीफिल्म, फीचर फिल्मों सहित प्रायोजित/कमीशन/रॉयल्टी कार्यक्रमों के संबंध में नियमित अनुरोध	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव
12.	विभिन्न कार्यों/प्रचार मामलों की कवरेज के लिए अनुरोध अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
13.	दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रम मामले पर जनता से प्राप्त नियमित मामलों/प्रस्तावों का प्रसंस्करण	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
14.	दूरदर्शन के कार्यक्रम के मामलों के संबंध में जनता/संगठनों के सदस्यों से प्राप्त हुई शिकायतों को अग्रेषित करना	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
15.	आरटीआई आवेदन और अपील	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव (बीसी-IV/सीपीआईओ, उप सचिव (बीसी-IV)/अपीलीय प्राधिकारी
16.	पीएमओ/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त याचिकाओं का अग्रेषण।	सहायक अनुभाग अधिकारी	अनुभाग अधिकारी

## बी (वित्त) अनुभाग

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) योजना और गैर योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्ताव ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
2.	प्रसार भारती को गैर योजना सहायता अनुदान जारी करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव	सचिव*
3.	प्रसार भारती को सहायता अनुदान योजना जारी करना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव	सचिव*
4.	संसद के दोनों सदनों में प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	अनुभाग अधिकारी / अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव/ अपर सचिव / सचिव	एमएसआईबी (सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री)
5.	संसद के दोनों सदनों में प्रसार भारती के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते पेश करना	अनुभाग अधिकारी / अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव/ अपर सचिव / सचिव	एमएसआईबी (सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री)
6.	प्रसार भारती से आउटकम-आउटपुट बजट	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
7.	अनुदान मांगों की जांच के लिए सामग्री तैयार करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव	अपर सचिव
8.	संसद की स्थायी समिति के लिए मौखिक साक्ष्य तैयार करना और स्थायी समिति से प्राप्त प्रश्नावली का उत्तर देना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव

9.	स्थायी समिति से प्राप्त अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
10.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित मुद्दे	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/सचिव	एचएमआईबी (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
11.	प्रसार भारती का पे रोल ऑडिट/चेक ऑडिट।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव/सचिव	मंत्री
12.	स्वायत्त निकायों पर व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/ उप सचिव/संयुक्त सचिवया अपर सचिव	सचिव
13.	प्रसार भारती को योजना और गैर-योजना सहायता अनुदान को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करना	उप सचिव/अपर सचिव/सचिव	मंत्री
14.	अनुदान की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव	संयुक्त सचिव या अपर सचिव
15.	प्रसार भारती के वाहनो की निलामी से संबंधित मामले।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव	सचिव*/एम.ओ.एफ
16.	उपरोक्त उल्लिखित कार्य से संबंधित संसदीय अतारांकित प्रश्न और आश्वासन।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	एचएमआईबी(सूचना और प्रसारण मंत्री)
17.	संसद तारांकित प्रश्न	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव /अपर सचिव सचिव	मंत्री
18.	आरटीआई और अन्य विविध कार्य।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव

19.	वित्तीय मामलों पर प्रसार भारती के साथ समझौता ज्ञापन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	सचिव
-----	---	---	------

\*अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के परामर्श से

## बी (डी) अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1.	आकाशवाणी/दूरदर्शन स्टेशनों की स्थापना।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)	अपर सचिव (बी)
2.	योजना स्कीम (हार्डवेयर) -अर्थात सूत्रीकरण / समीक्षा आदि।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	अनुमोदन के लिए प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार
3.	विशिष्ट क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए विशेष पैकेज।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	सचिव
4.	भूमि की आवश्यकता / साइट अधिग्रहण का निर्धारण ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री
5.	आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और गृह मंत्रालय के साथ संपर्क।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	सचिव

6.	उन्नयन, प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण सहित आकाशवाणी/दूरदर्शन की विकास परियोजनाओं का अनुमोदन।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार
7.	प्लान स्कीमों और व्यक्तिगत परियोजनाओं सहित प्रसार भारती के प्रदर्शन की निगरानी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)	अपर सचिव (बी)/सचिव
8.	बेसिल	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री
9.	ऑर्डर किए गए उपकरणों के निरीक्षण/प्रसारण टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए सेमिनार/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार
10.	मीडिया कार्यनीति (हार्डवेयर)।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)/सचिव	वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार
11.	अनुसंधान एवं विकास के मामले।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव(बी)	सचिव

12.	प्रसारण सुविधाओं के संबंध में विदेशी राष्ट्रों को तकनीकी सहायता।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री
13.	आईटीयू के निर्णय के परिणामस्वरूप रेडियो विनियमों में संशोधन	अनुभाग अधिकारी/अव र सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयु क्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	सचिव
14.	विभिन्न हार्डवेयर स्कीमों के लिए ईएफसी/एफआईबी जापन तैयार करना।	अनुभाग अधिकारी/अव र सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयु क्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	वित्त मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के अनुसार
15.	संसदीय तारांकित प्रश्न /आश्वासन /सांसद /वीआईपी	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)/सचिव	मंत्री
	संसदीय अतारांकित प्रश्न।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री
16.	लेखापरीक्षा पैरा/अदालती मामले।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	संयुक्त सचिव (बी)

17.	स्थायी समिति।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	सचिव
18.	परामर्शदात्री समिति संदर्भ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	मंत्री
19.	उपरोक्त वर्णित विषयों पर पीएसी की सिफारिशें।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/ अपर सचिव(बी)	सचिव
20.	आकाशवाणी/दूरदर्शन के संबंध में फ्रीक्वेंसी का वितरण/निर्धारण।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव (बी)

## बीए-ई अनुभाग

क्र. स.	मामलों की श्रेणी	प्रस्तुत करने का चैनल	अंतिम निपटान का स्तर
1	प्रसार भारती ग्रुप 'ए' (मानित प्रतिनियुक्ति पद) के पदों में भर्ती नियमों का निर्धारण और पदों में संशोधन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	मंत्री
2	प्रसार भारती में पद ग्रुप 'बी' (मानित प्रतिनियुक्ति पद) के भर्ती नियम	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	सचिव
3	प्रसार भारती में पद ग्रुप 'सी' (मानित प्रतिनियुक्ति पद) के भर्ती नियम	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव(बी)
4	ग्रुप 'ए' के विभिन्न पदों पर पदोन्नति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	मंत्री
5	प्रसार भारती में पद ग्रुप 'ए' के पदों के लिए तदर्थ नियुक्तियाँ (मानित प्रतिनियुक्ति पद) के भर्ती नियम	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	मंत्री
6	सेवा मामलों पर प्रतिनिधित्व	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव(बी)
7	पेंशन से संबंधित मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव
8	विधायक/सांसद/वीआईपीओ/पीएमओ से प्राप्त सन्दर्भ	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/	मंत्री
9	पुनरीक्षण के लिए अदालती मामले	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव(बी)
10	उत्तरदाताओं की सूची से सचिव, सूचना और प्रसारण का नाम हटाने के लिए शपथ पत्र	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक
11	संसदीय प्रश्न और आश्वासन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	मंत्री
12	सलाहकार समिति के लिए संक्षेप तैयार करना	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव(बी)

13	सरकार परामर्शो को कानूनी शुल्क।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक
14	ग्रुप 'ए' के पदों की प्रतिनियुक्ति i) आवेदन पत्र अग्रेषित करना ii) प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने के लिए संवर्ग मंजूरी iii) प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को बढ़ाना: क) सामान्य अवधि (3 वर्ष तक) ख) चौथा वर्ष ग) पाँचवाँ वर्ष	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक /अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी II)/अपर सचिव/सचिव  अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव / निदेशक /संयुक्त सचिव(बी-II)	संयुक्त सचिव(बी) मंत्री  सचिव सचिव मंत्री
15	स्थापना मामलों / अदालती मामलों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / विधि / वित्त /पेंशन विभाग आदि के सामान्य संदर्भ।	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक	संयुक्त सचिव(बी)
16	पदों का सृजन/समाप्ति	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक संयुक्त सचिव (बी)/अपर सचिव/सचिव	मंत्री
17	प्रशिक्षण	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	सचिव
18	संसदीय स्थायी समिति और अन्य संसदीय समितियाँ की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई टिप्पणियां	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव	सचिव
19	एसआईयू की सिफारिशों का कार्यान्वयन	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या निदेशक/संयुक्त सचिव(बी)/अपर सचिव/सचिव	मंत्री